



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FY 126



13899

जनरल स्टाम्प-1000/- रुपया

वार्ड-टफी अहमद किंदवई नगर

न्यास-पत्र

मनकि चन्द्रिका सिंह पुत्र स्वर्ग मातादीन सिंह, मकान नं०-526वी, बत्तंत खण्ड, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार लखनऊ का निवासी है। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता है तथा हम मुकिर अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन करते रहते हैं। इस मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शान्ति, आपसी सद्भाव, सदाचार, शिक्षा, रक्षास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्ति के जीवन की मूलभूत अवश्यकताएं भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की

[Signature]
Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dethamthan, Bauli-272161 (U.P.)

[Signature]
Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dethamthan, Bauli-272161 (U.P.)




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


FY 126172

(2)

व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोगारों को उनके योग्यता के अनुसूल तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाये। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई चारा, साम्रादायिक तालमेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग, भेद, जाति-पर्वति, छुआ-छूत, और सम्रादाय, ठैंच-नीच की भावना कहीं से बाधक न हो। मेधावी व प्रतिभावान छात्रों को देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाये। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। इस मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति


Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Daltarnhan, Basti-272161 (U.P.)

 कर्तृ ज्ञानेन


Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Daltarnhan, Basti-272161 (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 742884


(3)

के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावजूद रु0-10,000/- (दस हजार मात्र) एक न्यास को स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास को विभिन्न उपायों से चल-अचल सम्पत्ति की में व्यवस्था करता रहेगा। इस मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबंध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावजूद एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था निम्नलिखित की जायेगी :-

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "बिर्डला लिंग मातादीन लिंग चैरिटेबल ट्रस्ट" होगा। जिसे न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय म० सं० 526 बी, बसंत खण्ड, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार लखनऊ स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यों का सुचाल रूप से सम्पादित करने तथा इसके


Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garhi Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)

—प्राप्ति करावाह—


Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garhi Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
₹.50

FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 742885

(4)

उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावजूद इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मुकिर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा।

- यह कि हम मुकिर ट्रस्ट के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी होगें तथा ट्रस्ट के प्रबंधकर भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी कहा जायेगा जिनकी कुल संख्या-5 से कम तथा 25 से

[Signature]
Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)

[Signature]
Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 74285


(5)

अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य द्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। इस मुकिर द्वारा सभी नामित द्रस्टियों तथा मुख्य द्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट मण्डल के संस्थापक द्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

- 1) श्री पवन कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रिका सिंह निवासी-मकान : १०-५२६वीं, बसंत ऊँड, सेक्टर-४, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उप्र० पिन-२२६०१०
- 2) श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रिका सिंह ग्राम-गड़हाद लखनऊ पोस्ट-महुआडाबाट, जिला-बस्ती, उप्र० पिन-२७२१६१


प्राइमरी स्कॉल

Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)



Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 742887

(6)

- 3) श्रीमती अंकिता सिंह पल्ली श्री सन्तोष कुमार सिंह निवासिनी-मकान नं०-ए/३/००१२ बी, सुशान्त गोल्क सिटी, लखनऊ उ०प्र० पिन-२२६०२२
 - 4) श्रीमती शकुन्तला सिंह पल्ली श्री चन्द्रिका सिंह निवासिनी-ग्राम-गङ्गाहाद लथम्हन, पोस्ट-महुआडाबर, जिला-बस्ती, उ०प्र० पिन-२७२१६१
 - 5) श्रीमती अर्चना सिंह पल्ली श्री पवन कुमार सिंह निवासिनी-मकान नं०-५२६वी, बसंत खंड, सेक्टर-४, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उ०प्रा पिन-२२६०१०
 - 6) श्रीमती प्रिया सिंह पल्ली श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रिका सिंह ग्राम-गङ्गाहाद लथम्हन, पोस्ट-महुआडाबर, जिला-बस्ती, उ०प्र० पिन-२७२१६१
4. यह कि हम मुकिर द्वारा "बिंबिंग सिंह, मातादीन सिंह रैटिंगल ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

Zinodan
Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)

का ११ जून

Manager
Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 742888

(7)

- 1) द्रष्ट का मुख्य उद्देश्य नव चुवक, नव चुवतियों का छात्र-छात्राओं का रघनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रायमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना। विद्यालय के संचालन के लिए आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में टुकान व आवास का निर्माण करना।
- 2) समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
- 3) शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता गे चेतना जाग्रत कर उन्हें शिक्षित एवं श्रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म निर्मर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देश-विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध हेतु आवश्यक सहयोग करना।

Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)

Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 7428

(8)

- 4) वर्तमान समय में विज्ञान के जन-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षार्थियों को अत्याधुनिक ठेकनालॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- 5) समाज के सामुदायिक विकास का परस्पर मार्झ्यारा, साम्रादायिक तालमेल राष्ट्र-भवित्ति, राष्ट्रीय एकता सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।


Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)


Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 742000

(9)

- 6) लिंग-मेंद, जाति-पॉति, छुआ-छूत, धर्म और सम्बद्धाय, ऊँच-नीच वा मावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण-जागरूकता/सर्वे/ लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।
- 7) शिक्षा प्रवार प्रसार/अन्वयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, आईटी/आईटी/इंजीनियरिंग कालेज/गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/सिक्षा प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।
- 8) शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-गेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पीएसीएस, आईएएएस में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था करना।


Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)


Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 7428

(10)

- 9) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
- 10) युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे टिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्चिंग, स्कीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टीवी ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाईन आर्ट, संगीत, व्यूटीशियन कोर्स इसके अतिरिक्त छल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं भारतीय उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे-केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबंधन करना। आवश्यकतानुसार इनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करना।

[Signature]

—प्राप्ते जानकौरे

Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)

[Signature]

Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CK 742

(11)

- 11) स्थाय प्रसंस्करण तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना। युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण सांस्कृतिक कार्यों, कुकिंग, कला नियंत्रण, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा परियोजनाओं को क्रियान्वित करना।
- 12) समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना। विकलांग एवं मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराशित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के विद्यालय, छात्रावास एवं मोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि।
- 13) वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र पुनर्वास 'केन्द्र की स्थापना यहाँ, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो तथा महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।


Principal

CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)


Manager

CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 7426

(12)

- 14) सरकारी/अर्द्धसरकारी /प्राइवेट व स्थानी पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर लगाना, वृक्षास्तोपण, औषधियों एवं जड़ी-बूटी वाले पौधे (मेडिसिनल प्लान्ट) का सोपण करना।
- 15) राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
- 16) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आयुनिकातम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, तथा यूनीसेफ, आईएसीएडीएस०, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)

Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 7428

(13)

- 17) बीड़ी, सिंगरेट, तम्बाकू पान—मसाला, गांजा—मांग, स्मैक, एलएसीआई या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के खिलाफ कारबोन डायऑक्साइड की व्यवस्था करना।
- 18) समाज में व्याप्त बुटाईयों वाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग—भेंद, जाति—पांति एवं छुआ—छूत की भावना को दूर करना।
- 19) सामूहिक विवाह तथा सामूहिक मोज को बढ़ावा देना—विभिन्न त्योहारों अथवा समारोह पर होने वाले मोजन, धन तथा अनाज के अपचाय की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्य करना।
- 20) विभिन्न प्रकार के खेल जैसे—योगा, जिमास्टिक, जूडो कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता की व्यवस्था कराना।

Praveen
Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)

Crest View
Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 74289

(14)

- 21) परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान एवं नेत्र आपरेशन शिविर का आयोजन करना।
- 22) एड्स, कैंसर, टीएचबीएच कोड भलेटिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी /टोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु छेष्टल फालेज, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज व अन्य चिकित्सीय /पैदा मेडिकल महाविद्यालयों, डीएच यूनिवर्सिटी तथा प्राथिक्षण केन्द्रों एवं ब्लड, बैंक, नेत्र चिकित्सालय, डाइग्नोस्टिक सेंटर, चिकित्सालय, नर्सिंग होम व पॉलिक्लिनिक की स्थापना करना।

[Signature]
Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)

[Signature]
Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 7426


(15)

- 23) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब व्यक्तियों व उनके परिवारों को लाभ प्रदान न करने के लिए आवश्यक कार्य सम्पन्न करना।
- 24) गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना।
- 25) स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना तथा कैम्प एवं सेमिनार आयोजित कर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करना और स्वच्छता अभियान चलाकर समाज को रोगमुक्त करना। निःशुल्क टीकाकरण तथा नेत्र-ज्योति शिविर का आयोजन और चिकित्सालयों को निर्माण कर स्विकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य संचालित करना।


Principal

CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)

—लक्ष्मी लालैंड


Manager

CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)

भारतीय ग्रेर न्यायिक

पंचास
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 742897

(16)

- 26) गरीब बच्चों को केंद्र राज्य से सहायता प्राप्त होने पर काफी, वित्ताव, सकूल बैंक, व सकूल ड्रेस वितरण करना तथा मामीण व शाहू वासियों के ठण्ड से बचने के लिए कम्बल का वितरण करना।
- 27) गांवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, सड़न्जा, पिचरोड, पार्क एवं भवन निर्माण में सहयोग करना और बेघर, गरीब व निर्धन, व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
- 28) कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी व प्र उपयोग तथा शोधित बीजों को खाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों के बारे में जानकारी देना।

Zoster
Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)

—१८३११२४
Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 7477

(17)

- 29) बन्जर एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लगाना।
- 30) प्राकृतिक आपदा, जैसे—हैंजा, लोग, मुख्यमरी, बाढ़, सूखा, अकाल, चक्कावात, भूकम्फ, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गांवों, व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना। सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना, जलमी व्यक्तिगत गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अधिक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाने के लिए मोबाइल हमरजेन्सी एम्बुलेंस/वैन की व्यवस्था बढ़ाना।

[Signature]
Principal
CREST VIEW SCHOOL
Gama Dalithamhan, Basti-272161 (U.P.)

[Signature]

[Signature]
Manager
CREST VIEW SCHOOL
Gama Dalithamhan, Basti-272161 (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CK 741

(18)

- 31) उन समर्पित योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु सरकार अथवा नाट्ट सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों द्वारा एन०जी०ओ० के माध्यम से खलाया जा रहा है।
- 32) पंचायती राज एवं उपमोक्ता संस्टक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए कार्गन्सालिंग केन्द्रीय स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके।
- 33) गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक विविक्षणीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।
- 34) किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन०जी०ओ० एसोसिएशन, द्रष्ट द्वारा कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

—८१३—
लक्ष्मी


Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)


Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)

- 35) सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर द्रष्टव्य के उद्देश्यों की पूर्ति करना।
- 36) विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।
- 37) न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके मिलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
- 38) सरकारी, अर्द्ध सरकारी, अथवा गैर सरकारी बैंकों से द्रष्टव्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।
- 39) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आर्थिक लोटा के सृजन के लिए आईओएसी०, एचएपी०, बी०पी०, एससार, रिलायंस के पेट्रोल पम्प/गैस एजेंटी व किलान सेवा केन्द्र प्राप्त करना।
40. सामाजिक उद्देश्यों को देखते हेतु समयानुसार द्रष्टव्य के उद्देश्यों में परिवर्तन किया जा सकता है।

5- द्रष्टव्य मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य

- 1) समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व द्रष्टव्यों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा संघ सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
- 2) द्रष्टव्य के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों को सुधारल व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
- 3) द्रष्टव्य के अधीन संस्थानों व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
- 4) द्रष्टव्य के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए वन की व्यवस्था हेतु शुल्क, दान, चंदा हत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयों गठित करना।

प्रभारी अधिकारी

- 5) द्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेघावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
- 6) द्रस्ट की सम्पत्ति की देख-आल करना तथा द्रस्ट की सम्पत्ति को बदल के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर द्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
- 7) द्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता को स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकृष्णक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावजूद गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था द्रस्ट में निहित करना।
- 8) द्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, विकिसालों, शोध केन्द्रों, गीशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और हस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना तनके हित में अन्य कार्यों को करना।
- 9) द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा द्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण एवं अन्य स्रोतों द्वारा सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना।
- 10) द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्रस्ट मण्डल द्वारा संकालित समस्त कार्यों को करना।
- 11) द्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर द्रस्ट पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उसका अधिनियम की धारा-12ए तथा 80 जी० जी० के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रत्ताव प्रेसित करना।

- 12) द्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों व इस्टीट्यूट्स की मान्यता सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमाधली द्वारा निर्धारित प्रतिक्रियों को पूर्ण कर समर्त आवश्यक कार्यवाही करना।
- 13) किसी अन्य पंजीकृत द्रस्ट अथवा संस्था/सोसाइटी के द्वारा स्वेच्छा से द्रस्ट में सम्मिलित होने का प्रस्ताव दखने पर उसके समर्त नियमों सहित द्रस्ट में सम्मिलित करना अथवा उसकी सम्पत्ति का अधिग्रहण करना।
- 14) समान उद्देश्य वाली संस्था/ द्रस्ट को अनुदान/सम्पत्ति प्रदान करना।

6- द्रस्ट मण्डल का गठन एवं प्रबन्ध व्यवस्था-

हम मुकिन्त द्वारा द्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु संस्थापक द्रस्टी, नामित द्रस्टियों तथा मुख्य द्रस्टी को संचयत रूप से न्यास मण्डल/द्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। द्रस्ट के मुख्य द्रस्टी एवं प्रबंधक हम मुकिन्त होंगे। द्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के प्रबंधक/मंत्री, निदेशक मुख्य द्रस्टी होंगे अथवा मुख्य द्रस्टी द्वारा यह दायित्व संस्थापक द्रस्टी को सौंपा जा सकता है।

(क) द्रस्ट मण्डल के सदस्य एवं सदस्यता के प्रकार:-

द्रस्ट मण्डल की संरचना में सदस्यता का प्रकार निम्नलिखित है- द्रस्ट की नामित सदस्यता हेतु कोई भी भारतीय नागरिक, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल, दिवालिया व सजायापता न हो, द्रस्ट के हित में कार्य करने का इच्छुक हो आवेदन कर सकता है। जिसे द्रस्ट मण्डल दो तिहाई बहुमत से स्वीकार कर द्रस्ट के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है अथवा बिना कारण बताए आवेदन को निरस्त कर सकता है।

(अ) आजीवन सदस्य-

द्रस्ट के संस्थापक सदस्य को द्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(ब) संरक्षक सदस्य—(PATRON MEMBER)

मुख्य द्रस्टी द्रस्ट के हितेशी किसी प्रसिद्ध समाजसेवी, दानदाता व विद्वान व्यक्ति को निश्चित समयावधि अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक के लिए संरक्षक सदस्य नामित कर सकता है।

(स) सहयोजित सदस्य—(CO-OPTED MEMBER)

मुख्य द्रस्टी द्वारा द्रस्ट के अधीन कार्यरत् किसी कर्मचारी को सहयोजित सदस्य के रूप में निश्चित समयावधि अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए नामित कर सकता है।

(द) नामित सदस्य—


मुख्य द्रस्टी द्वारा द्रस्ट के हित में द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु द्रस्ट के हितेशी सदस्यता के लिए अहं अधिकतम 7 (सात) व्यक्तियों को नामित सदस्य के रूप में निश्चित समयावधि अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये नामित कर सकता है।

(ख) द्रस्ट का संचालन:-

द्रस्ट का संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा—

- i) मुख्य द्रस्टी के अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की असमता यी की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित किसी आजीवन द्रस्टी को मुख्य द्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा।
- ii) मुख्य द्रस्टी की मृत्यु होने पर संस्थापक द्रस्टी/आजीवन द्रस्टी में से कोई एक सर्व सहमति से अथवा $\frac{2}{3}$ के मत से विशेष बहुमत से मुख्य द्रस्टी का चुनाव विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया जायेगा। इस प्रकार चुना गया द्रस्टी मुख्य द्रस्टी द्वारा सम्पादित कियो जा रहे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
- iii) द्रस्ट मण्डल के संस्थापक सदस्य की मृत्यु के पश्चात् उनके रिखत स्थान की पूर्ति उनके अपने जीवनकाल में मुख्य द्रस्टी को लिखित अनुरोध पत्र या वसीयत के आधार पर अधिकतम दो विधिक उत्तराधिकारी को द्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य


Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)


Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)

करने का अधिकार प्राप्त होगा। यदि अनुटोच पत्र या वसीयत उपलब्ध नहीं है तो स्वामानिक रूप से ज्येष्ठ विधिक उत्तराधिकारी को द्रष्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसके पश्चात् भी आगे के क्रम में द्रष्ट मण्डल के आजीवन सदस्य के रूप में नियुक्त हेतु इसी विधान का अनुपालन मुख्य द्रष्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- i.v) द्रष्ट मण्डल के किसी आजीवन सदस्य द्वारा मुख्य द्रष्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (किसी दो आजीवन सदस्य के समर्थन के साथ) प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी दशा में मुख्य द्रष्टी द्वारा आजीवन सदस्यों को एजेण्डा बैठक बुलायेगा एवं कुल आजीवन सदस्यों में से $\frac{2}{3}$ के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव अन्तिम माना जायेगा। यदि मुख्य द्रष्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मुख्य द्रष्टी का युनाव उसी बैठक में कुल आजीवन सदस्यों के $\frac{2}{3}$ के विशेष बहुमत द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
- v) द्रष्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा द्रष्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा द्रष्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में मुख्य द्रष्टी के प्रस्ताव पर द्रष्ट के प्रस्ताव पर द्रष्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से द्रष्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितेशी व्यक्ति को द्रष्टी नामित कर द्रष्ट मण्डल के द्रष्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई द्रष्टी उक्त प्रकार के द्रष्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे द्रष्ट मण्डल के सदस्य के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त रहेगा।
- vi) किसी भी द्रष्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर द्रष्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
- vii) द्रष्ट मण्डल के सदस्यों में से द्रष्टीगण को द्रष्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए द्रष्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में

नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्ति किये गये द्रस्टीयों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। द्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्बन्ध वाली जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य द्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्बन्ध किये जाने पर मुख्य द्रस्टी का निर्णय सभी द्रस्टियों के लिए मान्य एवं अनिम होगा।

- viii) द्रस्ट मण्डल के किसी भी द्रस्टी के त्वाग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति मुख्य द्रस्टी द्वारा पूर्व में दिये गये प्राविद्यानों के अधीन किसी अहं व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।
 - ix) द्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि सम्बन्धित शैक्षिक संस्था इन्स्टीट्यूट की नियमण संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सभाम प्राधिकारी से स्वीकृति या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान व इन्स्टीट्यूट के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
 - x) द्रस्ट मण्डल का कोई भी द्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो द्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित द्रस्टी हसके लिए स्वयं उत्तरदायित्व होंगे।
 - xi) द्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य द्रस्टी अथवा न्याय मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्च व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्याचाराशिं से सम्बन्धित खिलों व बाउचरों को स्वीकरण या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यायी के पास सुरक्षित होगा।
- (ग) द्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन
1. द्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में द्रस्टी के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों वा

प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी माग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य द्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में माग न लेने वाले सदस्यों की यह अद्योग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य द्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में द्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर द्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपनात् बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर द्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।
7. मुख्य द्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य
- i) इस द्रस्ट के मुख्य द्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा द्रस्ट द्वारा संधालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
 - ii) मुख्य द्रस्टी को द्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए आवश्यक होने पर अन्य द्रस्टीगण को नामित करने का अधिकार होगा।
 - iii) द्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की घनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
 - iv) द्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अभिलेखों को तीयार करना/कराना।
 - v) द्रस्ट की बैठकों को आमांत्रित करना तथा उसकी सूचना द्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
 - vi) द्रस्ट की बल व अबल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा द्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट द्रस्ट मण्डल के समक्ष सज्जना।
 - vii) द्रस्ट की ओर से द्रस्ट की समस्त चन-अबल सम्पत्ति के हस्तांतरण व प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेखों को हस्तांतरित करना।

- viii) द्रस्ट द्वारा तथा द्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में द्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिकता व मुख्तात नियुक्त करना।
- ix) इस द्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारी का प्रयोग करना तथा द्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से द्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
- x) द्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
- xi) द्रस्ट के आच-व्यव का एपोर्ट तैयार करना तथा द्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से द्रस्ट के आच-व्यव का लेखा परीक्षण करना। द्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारा रूप से स्ख-स्खाव करना।

8. द्रस्ट की कोष व्यवस्था

द्रस्ट के कोष को सुचारा स्ख-स्खाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में द्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें द्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की घनराशियाँ एवं ऋण राशियां निहित होंगी, द्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य द्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य द्रस्टी द्वारा अधिकृत के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. द्रस्ट के अभिलेख

द्रस्ट अभिलेखों को तैयार करने/कराने व स्ख-स्खात का दायित्व मुख्य द्रस्टी का होगा। मुख्य द्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप के द्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखों का रजिस्टर इत्यादि स्खा जायेगा।

10. द्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था

द्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:-

- i) यह कि द्रस्ट मण्डल द्वारा द्रस्ट के उद्देश्यों की हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से द्रस्ट की आय बढ़ावा जा सकेगा। हस सम्बन्ध में द्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य द्रस्टी व एक अन्य द्रस्टी, जिसको मुख्य द्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
- ii) यह कि मुख्य द्रस्टी द्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। द्रस्ट मण्डल के द्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों वा किसाये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
- iii) यह कि राष्ट्र की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित कराने का अधिकार द्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। द्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के आधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य द्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील द्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
- iv) द्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में द्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा


नोटरीस का नम्बर	कार्ड	उपक	पृष्ठ	चिकित्सकर्मी की संपर्क	प्रत्युत्पत्ति निवादग्रन्थां का नाम व पता	प्रसारेट लाइज का नदानलग प्रोटोकॉल
1	2	3	4	5	6	7
					चाण्डिका चिंह पुरा रघुवंश माताहीम चिंह, गकान नं०-५२६३१, बख्त खण्ड, सीकर-४, गोमती नगर विहार लखनऊ	 Chintamani Dixit Advocate Collectorate, Lucknow
					सौरेश चिंह पुरा-श्रीनाथ चिंह पता-प्राय-गडहारामगढ़न, पोर्ट-महुआउल्हर, बननाम, बहरी, उपर्यू-२७२१६१	 Saurabh Chintamani Dixit Advocate Collectorate, Lucknow
					मुकुलकर्मा चिंह पुरा रघुवंश विहारी लाल पता-चौली शुद्धजग्मणाद, लेल. इसलामाबाद, उत्तराख. उपर्यू-२४१५०२	 Mukul Karmakar Advocate Collectorate, Lucknow

Pratik
Principal
CREST VIEW SCHOOL
Gangs Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)

Manager
CREST VIEW SCHOOL
Gangs Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)

घोषणा-

"निर्मला सिंह मातादीन सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट" की तरफ से हम श्री चन्द्रिका सिंह मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यासी पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझकर निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है जिससे कि इस ट्रस्ट का विधिवत् गठन हो सके।

 25-03-2022


हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

हस्ताक्षर साक्षीगण :-

साक्षी संख्या-1

नाम—शैलेन्द्र सिंह

पुत्र—श्रीनाथ सिंह



पता—ग्राम—गडहादलथम्हन, पोस्ट—महुआडाकर,
बगनान, बस्ती, उत्तर प्रदेश-272161

मोबाइल-9838090004 पेशा—कृषि

Advocate
orate, Lucknow





साक्षी संख्या-2

नाम—गुरुलक्ष्मी सिंह

पुत्र स्वर्ग विहारी लाल


पता—ब्योली इस्लामाबाद, बेवल,

इस्लामाबाद, उत्तर प्रदेश-241502

मोबाइल-9452499290, पेशा—वकालत


Advocate
orate, Lucknow

टाईपकर्ता




(संदीप)

मसाविदाकर्ता



(सीओएम दीक्षित)

एडवोकेट
CHINTAMANI DIXIT
कलेकटर कार्ट, लखनऊ को
Collectorate, Lucknow

 Principal
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)

Manager
CREST VIEW SCHOOL
Garha Dalthanhan, Basti-272161 (U.P.)

आवेदन सं.: 2022/0821019274

वर्ण संख्या 4 जिल्हा संख्या 590 के पृष्ठ 165 से 222 तक संख्या 247 पर दिनांक
25/03/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा

कलाल मिश्रा -

उप नियंत्रक सदर नियंत्री

समर्पण

25/03/2022

प्रिय कर्मचारी


Principal
CREST VIEW SCHOOL
Gama Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)


Manager
CREST VIEW SCHOOL
Gama Dalthamhan, Basti-272161 (U.P.)